आदेश पत्रक (3)

आदेश पत्रक • ता० यमुना पासवान बनाम लाडली देवी तक

ल –

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० यमुना पासवान बनाम लाडली देवी (1) तक

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 03 /2021–22

वाद का प्रकार – विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20.4.21	आवेदक यमुना पासवानपासवान पि० स्व० नगेश्वर राम ग्राम- हिसिदामा पो०- हेरहंज थाना- बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनकी खरीदगी भूमि मौजा- बालूमाथ खाता नं० 367 प्लॉट नं० 2361 रकबा 0.1 डि० जिसका केवाला नं० दिनांक 18.12.2001 है खरीदगी एवं ऑनलाईन रसीद आवेदन के साथ संलग्न है। परन्तु लाडली देवी पति श्री विजय साहु ग्राम- बालूमाथ द्वारा जबरदस्ती बाउण्ड्री निर्माण कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। न्याय हेतु आवेदन दिया गया है। उक्त आलोक में वाद की कार्यवाही आरम्भ की जाती है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। उपस्थित पक्ष राजस्व संबंधी दस्तावेजों के साथ अगली तिथि को उपस्थित होंगे। वाद की अगली तिथि 26.4.21 निर्धारित की जाती है। 20.4.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	A 44978 12-06-21

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

त्रक – ता० यमुना पासवान बनाम लक्ष्मी देवी (1) तक

बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 03 /2021–22

प्रकार – सिविल वाद

देश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
.५.२१	आवेदक यमुना पासवान पासवान पिता स्व० नरेश्वर राम ग्राम– टिकदाग पो०– हेरहंज थाना– बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि, उनकी खरीदगी भूमि मौजा– बालूमाथ खाता नं० 367 प्लॉट नं० 2361 रकबा 0.15 डि. जिसका केवाला सं० दिनांक 18.12.2001 से खरीदगी एवं ऑनलाईन रसीद आवेदन के साथ संलग्न है। परन्तु लक्ष्मी देवी पति श्री विजय साहु ग्राम– बालूमाथ द्वारा जबरजस्ती बाउन्ड्री निर्माण कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। न्याय हेतु आवेदन दिया गया है। उक्त आलोक में वाद की कार्यवाही आरंभ की जाती है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। उभय पक्ष एतत्संबंधी दस्तावेजों के साथ अगली तिथि को उपस्थित होंगे। वाद की अगली तिथि 26.5.21 निर्धारित की जाती है। (हस्ताक्षर) ५.५.२१ अंचल अधिकारी, बालूमाथ	A 4497 12-06

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———— से ———— तक

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार **विविध वाद सं०–03/2021–22**

केस का प्रकार– **यमुना पासवान बनाम् लक्ष्मी देवी**

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षकारों को पूर्व से नोटिस निर्गत है। आदेश हेतु पूर्व से तिथि निर्धारित है। प्रथम पक्षकार यमुना पासवान पिता स्व0 जगेश्वर राम बालूमाथ का कहना है कि मौजा बालूमाथ सी0एस0 खाता 103 प्लॉट 1303 रकबा 4 डी0 भूमि वर्ष 2001 में केवाला संख्या 1566 के द्वारा विक्रेता आदित्य प्रसाद व दिलीप कुमार पिता स्व0 महेश साहु बालूमाथ से क्रय की गयी थी। उक्त भूमि पर बाउंड्रीवाल करने पर लक्ष्मी देवी पति विजय गंझू बालूमाथ के द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है। प्रथम पक्षकार का कहना है कि आर0एस0 खाता 367 प्लॉट 2356, 2360, 2361, 2483 रकवा क्रमशः 0.29, 0.11, 0.08, 0.65 एकड़ कुल रकवा 1.13 एकड़ महेश साव पिता मोही साह के नाम से आर0एस0 खतियान में नाम दर्ज पाया गया है। तत्पश्चात हमलोगों के द्वारा सी0एस0 खाता में क्रय की गयी भूमि का दाखिल खारिज पूर्व अंचल अधिकारी बालूमाथ से करवाया गया तथा आर0एस0 खाता 367 प्लॉट 2361 रकवा 4 डी0 भूमि का ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत है। द्वितीय पक्षकार लक्ष्मी देवी पति विजय गंझू बालूमाथ का कहना है कि मेरे पति विजय गंझू एवं उनके पूर्वज के द्वारा महेश साव पिता मोही साव को मात्र 39 डी0 भूमि विक्रय किये थे न की 47 डी0 भूमि। ये अतिरिक्त 8 डी0 भूमि मोही साव के पास कहां से आया यह स्पष्ट नही है। द्वितीय पक्षकार के द्वारा 8 डी0 भूमि महेश साव के द्वारा क्रय करने संबंधी केवाला दिखाने की मांग रखी गई। इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्षकार के द्वारा अपनी भूमि के समर्थन में किसी भी राजस्व दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया।	

Scanned with CamScanner

देश की ०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

उभय पक्षकारों की बातों को एवं उपलब्ध कराये गये राजस्व दस्तावेज को गंभीरतापूर्ण अध्ययन किया। अध्ययन के उपरांत निम्न तथ्य पाये गये :-

1- प्रथम पक्षकार यमुना पासवान के द्वारा वर्ष 2001 में सी0एस0 खाता 103, प्लॉट 1303 रकवा 4 डी0 (आर0एस0 खाता 367, प्लॉट 2361 रकवा 4 डी0) भूमि विक्रेता महेश साव पिता मोही साह से क्रय किया गया था।

2- विक्रेता महेश साहू पिता मोही साह को यह भूमि जीतन गंझू पिता बिसु गंझू, बालूमाथ से क्रय की गयी थी। यह 8 डी0 भूमि सी0एस0 खाता 103 प्लॉट 1303 की थी। इसी में 4 डी0 महेश साव के द्वारा यमुना पासवान को बिक्री 2001 में किया गया।

3- विक्रेता महेश साव पिता मोही साव के द्वारा सी0एस0 खाता 103 प्लॉट 1303 से रकवा 39 डी0 भूमि का क्रय 1978 में किया गया। इस 39 डी0 भूमि का जमाबंदी सी0एस0 पंजी-2 के जमाबंदी नं0- 498 एवं 596 में दर्ज है।

4- उपरोक्त 39 डी0 के अलावा जीतन गंझू इत्यादि के द्वारा महेश साह इत्यादि को 8 डी0 भूमि वर्ष 1978 में निबंधन किया गया था। जिसका दाखिल खारिज अंचल से नहीं कराया गया था। वर्ष 2016 में प्रथम पक्षकार के द्वारा इसका नकल उपलब्ध कराया गया।

5- सी0एस0 खाता 103 प्लॉट 1303 का आर0एस0 खाता 367 प्लॉट 2356, 2360, 2361, 2883 कुल रकबा 1.13 एकड़ पाया गया। इसी प्लॉट 2361 का रकवा 8 डी0 पाया गया। जिसे 4 डी0 भूमि विक्रेता महेश साव पिता मोही साव के द्वारा यमुना पासवान को लिखा गया।

6- राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन एवं सी0एस0 पंजी-2 का नकल एवं अंचल अमीन के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि महेश साव के द्वारा जीतन गंझू से क्रय की भूमि 8 डी0 में 4 डी0 भूमि यमुना पासवान एवं 4 डी0 भूमि रामदेव साव को निबंधन महेश साव के पुत्र के द्वारा किया गया। उक्त भूमि आर0एस0 खाता

Scanned with CamScanner

367 प्लॉट 2361 रकबा 8 डी0 का पाया गया। दोनों क्रेता के द्वारा 4-4 डी0 भूमि का दाखिल खारिज पूर्व अंचल अधिकारी के द्वारा किया गया।

7- पूर्व अंचल अधिकारी के द्वारा सी0एस0 खाते से क्रय की गई भूमि को आर0एस0 खाते से लगान रसीद निर्गत किया गया। चूँकि म्यूटेशन को तोड़ना अंचल अधिकारी की शक्ति से बाहर इसलिए इस बिन्दु पर अपील की जा सकती है।

8- द्वितीय पक्षकार के द्वारा उक्त भूमि प्राप्ति के लिए सी0एन0टी0 ऐक्ट की धारा 71(A) का लाभ लेने का प्रयास अभी तक नहीं किये है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों देखते हुए सभी साक्ष्यों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करते हुए मै इस नतीजा पर पहुंचा हूँ कि आर0एस0 खाता 367 आर0एस0 प्लॉट 2361 रकबा 4 डी0 (सी0एस0 खाता 103 प्लॉट 1303 रकबा 4 डी0) पर प्रथम पक्षकार यमुना पासवान का हक-हैकियत सिद्ध होता है। उक्त 4 डी0 भूमि का प्रथम पक्षकार सीमांकन कराने हेतु ऑनलाईन आवेदन देने के लिए स्वतंत्र है। इस सीमांकन कार्य में द्वितीय पक्षकार लक्ष्मी देवी कोई विघ्न उत्पन्न नही करेगें। मेरे इस आदेश से थाना बालूमाथ को अवगत कराये। मेरे इस निर्णय से असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश से सभी पक्षकारों एवं राजस्व कर्मी व अंचल निरीक्षक बालूमाथ को अवगत करायें।

लेखापित एवं संशोधित
20.4.23
अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

20.4.23
अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

Digitally signed by MD AFTAB ALAM
Date: 2023.09.21 16:57:01 +05:30
Location: 192.168.6.91

Scanned with CamScanner